



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

फोन-(0135)-2970866, 2970867, फैक्स-(0135)-2970859, 2970865

Email : agaeuttarakhand@cag.gov.in, Website : www.agua.cag.gov.in



सं०: 60 / प्रशासन-II / ए.जी.यू.के.(ले०एवंहक०) / परिवीक्षा / 2020-21 / 37

दिनांक: 18.08.2020

कार्यालय आदेश

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों की नियम पुस्तिका (प्रशासकीय) खण्ड-I के पैरा 7.5 के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन निम्नलिखित खण्डीय लेखाकारों की परिवीक्षा अवधि, उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को पूर्ण होती है, को संतोषजनक घोषित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम (सर्व श्री)	पदनाम	कार्यग्रहण की अवधि	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1.	सुमित गर्ग	खण्डीय लेखाकार	27.11.2015	06.03.2020 (पूर्वाह्न)
2.	विकास गौतम	खण्डीय लेखाकार	01.04.2016	06.03.2020 (पूर्वाह्न)
3.	शैलेन्द्र कुमार	खण्डीय लेखाकार	22.12.2016	06.03.2020 (पूर्वाह्न)
4.	आशुतोष वर्मा	खण्डीय लेखाकार	13.05.2016	06.03.2020 (पूर्वाह्न)

हस्ता० / -

उपमहालेखाकार / प्रशासन

दिनांक: 18.08.2020

सं०: 60 / प्रशासन-II / ए.जी.यू.के.(ले०एवंहक०) / परिवीक्षा / 2020-21 / 287-295

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक०), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उपमहालेखाकार (प्रशासन) प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई निर्माण खण्ड, श्री नगर।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई विद्युत एव यांत्रिकी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
5. अधिशासी अभियन्ता, सिचाई खण्ड, उत्तरकाशी।
6. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड ए०डी०बी०, लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा
7. सम्बन्धित खण्डीय लेखाकार को इस कार्यालय की website के माध्यम से।
8. व्यक्तिगत पत्रावली।
9. नोटिस बोर्ड।

वरि० लेखाधिकारी / प्रशा०-II